राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1 (175)स्था/निकाशि/2011/ 1875 दिनांक: 20.12.2011

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के नियम 4(3)क में वर्णितानुसार गठित स्क्रीनिग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 1.07.2011 एवं 6.08.2011 द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित व्याख्याता/पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, जिन्होने उक्त नियमों के अधीन उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तो के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा की है, को व्याख्याता/पुस्तकालयाध्यक्ष/ शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, पद की उपयुक्तता का न्याय निर्णयन करते हुए इन्हें व्याख्याता/पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी अनुशंषा के आधार पर उक्त नियमों के नियम 5(ii) के अनुसार पृथक मृत संवर्ग गठित करते हुए राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तो के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त होने के फलस्वरूप कार्मिकों के नाम के सम्मुख अंकित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में व्याख्याता /पुस्तकालयाध्यक्ष /शारीरिक शिक्षा अनुदेश, (R.V.R.E.S) पद पर विद्यमान वेतनमान पर पदस्थापित किया जाता है:–

1. ये इन नियमों के अधीन अधिवार्षिता आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नही होगें तथापि इन्हें सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञात किया जायेगा जैसा कि यू0जी0सी0 के तहत राज्य सरकार के कॉलेज शिक्षा के व्याख्याताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक अनुदेशकों को अनुज्ञात है। सुनिश्चित कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत ओर सहायता प्राप्त पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जावेगी।

2. यह नियुक्ति राजस्थान शिक्षा (महा. शाखा) सेवा नियम, 1986 के अध्यधीन नहीं की जा रही है वरन् राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के नियम 5 (ii) के अनुरूप मृत संवर्ग के रूप में की जा रही है।

3. यह मृत संवर्ग के पद चाहे किसी भी कारण से यथा अधिवार्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृति/सेवा समाप्ति/सेवा में रहते हुए मृत्यु/कर्मचारी के त्याग पत्र इत्यादि के कारण पदो के रिक्त होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगें। इससे महाविद्यालय शिक्षा विभाग के पूर्व से सृजित पद समाप्त नहीं होगें।

4. इनका वेतन इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर इनके इस आदेश की अनुपालना में पद ग्रहण करने की तारीख से छठें वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जायेगा। इन कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात् सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) राजकीय महाविद्यालय व्याख्याता मय लाईब्रेरियन एवं पी.टी.आई नियम–2009 के लाभ के लिए अनुज्ञात किये जायेगें।

5. उपार्जित अवकाश के अतिशेष अग्रनीत करने को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं से उपार्जित अवकाश के अतिशेष के नगदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी मद्दे कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन, चयनित वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नति स्कीम के बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नहीं किये जायेंगें।

7. इन नियमों के अधीन सरकारी सेवा में नियुक्त किये गये ये व्यक्ति पेंशन स्कीम के लिए पात्र नही होगें अंशदायी भविष्य निधि अंशदान, यदि इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जमा नहीं कराया गया हो तो, राज्य सरकार द्वारा संदत्त नही

किया जायेगा। नियुक्त कार्मिक पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदान पेंशन) नियम, 2005 ही लागू होगा।

8. अनुदान/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सेवा की कालावधि की गणना उपादान के संदाय के लिये नही की जायेगी। कर्मचारी संबंधित सहायता/अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से अपने उपादान का संदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य सरकार का इस संबंध में कोई उत्तर दायित्व नही होगा।

9. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त इन व्यक्तियों की अन्य सेवा शर्ते 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों पर लागू विभिन्न सेवा नियमों द्वारा विनियमित होगी ।

10. इन्हें अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रो में स्थित सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में ही सेवा करनी होगी।

11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक योग्यता की वैधता की जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः संबंधित संस्था प्रधान ऐसे अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करवा कर इनके द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में ही प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें इस आदेश के द्वारा प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

12. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अंकतालिकाओं/प्रमाण पत्रों की मूल दस्तावेजों से मिलान करने के उपरान्त उसकी एक–एक प्रमाणित छायाप्रतियॉ प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे।

13. इन्हें दिनांक **30/12/2011** तक अनिवार्यतः पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि संबंधी कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उन्हें इन नियमों के अधीन प्रदत्त यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। कार्यग्रहण करने पर इन्हें यात्रा भत्ता इत्यादि नही दिया जायेगा।

14. यदि महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में स्थित हो तो महाविद्यालय का प्राचार्य इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें एवं संबंधित नियुक्ति अधिकारी को अविलम्ब अवगत करावें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित(ग्रामीण एवं विशेष क्षेत्रों की सूची संलग्न है।)

15. उक्त नियुक्ति आदेश डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 2983/2011 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा पारित अन्तिम निर्णयाधीन जारी किया जाता है।

क्र. स.	अधिकारी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पद / विषय	संस्था का नाम	जन्म तिथि	प्रस्ताव संख्या	पदस्थापित राजकीय महा.
1	Smt. Anita Mahawar/ Sh. Girish Chandra Verma	Librarian	Gandhi Mahila College, Kishangarh, Renwal	20.05.1972	750	Deedwana
2	Sampat Sharma / W/o Navneet Kishore Sharma	Librarian	G.S.S. (Girls) PG College, Chiwara	21.07.1956	765	Khetari
3	Smt. Renu Agarwal / Sh. M.S. Jain	Librarian	Agarwal P.G. College, Jaipur	23.09.1952	749	Baran Girls
4	Rukmani Gupta / Rakesh Kumar Gupta	Librarian	Agarwal Kanya Maha., Gangapur City, SWM	12.12.1964	759	Deeg
5	Sh.Amar Singh Mutti / Sh. Harnam Singh Mutti	Librarian	Kanoriya College Mukund garh	07.12.1954	758	Kherwara
6	Sh. Anil Kumar / Sh. R.P. Kulshresht	Librarian	Sh. Gyan Jyoti College, Shri Karanpur	08.07.1954	762	Kushalgarh

7	Smt. Anita Singh/ Sh.Kashi Singh	Librarian	Shri Bhawani Niketan Mahila Mahavidhayala, Jaipur.	30.06.1968	756	Malpura
8	Sh. Dilip Kumar Talesara / Sh. Hameer Singh	Librarian	Shri Pragya Mahavidhyalaya, Vijay Nagar, Ajmer	26.07.1954	746	Mandalgarh
9	Pushkar Lal Dashora / Sh. Madan Lal Dashora	Librarian	P. Udai Jain Maha. Kanod, Udaipur	10.02.1961	763	Mandapia
10	अर्चना खण्डेलवाल / निर्मल खण्डेलवाल	Librarian	Khandelwal Vaishya Girls College Jaipur	18.02.1963	754	Ramganjmandi
11	Smt. Madhulata Kulshrestha / Sh. Brajesh Kumar	Librarian	Sh. Krishan Satsang Balika Maha0, Sikar	12.04.1966	761	Ramgarh
12	Dr. Dharam Veer Singh / Sh. Sheo Karan Ramji	Librarian	Shree Jain College, Bikaner	05.06.1966	747	Ratangarh
13	डॉ. संजीव भटनागर / श्री सुबोध भटनागर	Librarian	Dayanand College, Ajmer	17.09.1970	745	Sagwara
14	श्री राजेन्द्र प्रसाद चितलांगिया / स्व श्री मदन चितलांगिया	Librarian	SSG Pareek P.G. College Jaipur	09.02.1960	751	Salumber
15	Smt.Archana Shrivastava/ Sh.Jamuna Prasad Shrivastava	Librarian	J.B. Shah Girls P.G. College, Jhunjunu	01.05.1963	757	Sardarsahar
16	श्रीमती माया गंगवाल / श्री महावीर कुमार गंगवाल	Librarian	S.S.G. Pareek Girls college, Jaipur	23.09.1955	752	Shivganj
17	ममता सिंह / सुनिल सिंह	Librarian	S.S. Jain Subodh P.G. College, Jaipur	01.04.1963	753	Thanagaji
18	Lalita Kaushik / Sh. Mohan Lal Ji	Librarian	Seth R.K. Dhanuka Kanya Maha0 Fatehpur Shekhawati	09.01.1954	760	Nagaur Girls
19	Smt. Akila Kadar / Sh. Kayyum Ali Kadar	Librarian	Sahitya Sansthan , Udaipur	25.09.1954	764	Nathdwara Girls
20	Rajshri Jhalani/ Sh.Aditendra Jhalani	Librarian	Shri Satsai Colllege for Women Jaipur	01.01.1964	755	Neem Ka Thana Girls
21	सुश्री अन्जु सक्सैना / श्री नन्दस्वरूप सक्सैना	Librarian	Smt. Kamla Devi Gauri Datt Mittal Mahila Coll., Sardar Shahar, Churu	20.08.1961	748	Ratangarh Girls

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांक एफ 1 (175)स्था/निकाशि/2011/1875
दिनांकः 20.12.2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी / उपविधि परामर्शी निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना/अनुदान/ कार्मिक/ अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. लेखाधिकारी, शिक्षा ग्रुप–5, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
12. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
13. संबंधित पुस्तकालयध्यक्ष।
14. संस्थापन/ कम्प्यूटर/गोपनीय/ कार्मिक शाखा/ नोड्ल आफिसर, विभागीय वेबसाईट।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा,राज0,जयपुर